पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2012–13/देहरादून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून:: 31 जुलाई, 2012

प्रार्थना पत्र सं0 – 5033/05.06.2012
सर्वश्री औद्योगिक रसायन एण्ड मैटल्स,
10–ए, न्यू सुभाषनगर, ज्वालापुर,
जिला–हरिद्वार (उत्तराखण्ड) ।
उपस्थिति– कोई उपस्थित नहीं।
निर्णय का दिनांक– जुलाई, 2012,

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

1. सर्वश्री औद्योगिक रसायन एण्ड मैटल्स, 10–ए, न्यू सुभाषनगर, ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार में स्थित है। यह फर्म टिन नं0 05011804052 द्वारा पंजीकृत है। फर्म द्वारा मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। धारा–57 के प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा Electroplating Chemicals (used by Automobile companies for decorative purpose) की खरीद बिक्री का व्यापार किया जाता है।

व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि " That some other local dealers are charging the VAT @ 4.5% but there is doubt about the rate of tax "। तत्पश्चात उनके द्वारा Electroplating Chemicals की खरीद–बिक्री के सन्दर्भ में निम्न प्रकार प्रश्न किया गया है–

" Clarify the rate of tax whether VAT is payable @ 4.5% or being unclassified items the VAT is payable 13.5%. "

उपरोक्तानुसार प्रेषित धारा–57 के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा Electroplating Chemicals की बिक्री पर करदेयता के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई है।

2. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0), वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार के पत्र संख्या–963/ज्वा0कमि0कार्य0वाणि0करहरि0/विधि–अनु0/ दिनांक 23.06.2012 द्वारा अपना मत प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि–

"व्यापारी **Electroplating Chemicals** का निर्माण करता है। अतः व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु **Chemical** है। चूंकि **Chemical** किसी भी शैड्यूल में नहीं है अतः इस पर 12.5% +1%= 13.5% वैट मेरे विचार से देय होगा।"

263
06/08/12

आ.प्रा. (प्रथम)/खातापाल
आवश्यक कार्यवाही करें।

प्रेषित धारा–57 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सुनवाई की निश्चित तिथि दिनांक 16.07.2012 में फर्म की तरफ से न तो सम्बन्धित आवेदनकर्ता और न ही

डिप्टी कमि.(क.नि.)–6
वाणिज्य कर, देहरादून

उनकी तरफ से कोई उनका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। अतः आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत धारा–57 के प्रार्थना पत्र में पूछे गये प्रश्न का उत्तर मूल्य वर्धित कर अधिनियम–2005 तथा मूल्य वर्धिम कर नियामावली–2005 के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा प्रेषित मत के आधार पर उत्तर दिया जाना विधि संगत होगा।

4. उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–4 की उपधारा–(2) के क्लॉज–(ख)(i)(ई) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार " **किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में** " 12.5 प्रतिशत (वर्तमान में 13.5 प्रतिशत) **की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।**

उपरोक्तानुसार कर की दरों के सम्बन्ध में दी गई किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल की बिक्री किये जाने पर नियमानुसार 13.5% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है।

आवेदनकर्ता द्वारा प्रेषित धारा–57 के प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा Electroplating Chemicals (used by Automobile companies for decorative purpose) की खरीद बिक्री का व्यापार किया जाता है, चूंकि उक्त सन्दर्भित वस्तु कर की दरो के सम्बन्ध में दी गई किसी भी अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। अतः उपरोक्त धारा–4 की उपधारा–(2) के क्लॉज–(ख)(i)(ई) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर 13.5% की दर से करदेयता होगी।

उपरोक्तानुसार मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत प्रेषित प्रार्थना पत्र का निस्तारण/विनिश्चय किया जाता है। आदेश की एक प्रति आवेदक और सम्बन्धित कर निर्धारक प्राधिकारी को भेजी जाये।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 1971/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(टैक्स–आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे